Title: Re: Provision for giving job to dependents of employees died due to Covid and speedy payment of 39 months arrears.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे सेल के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की समस्या को सदन में उठाने का अवसर दिया । खुशी की बात है कि सेल कर्मचारियों के वेतन के लिए समझौता सम्पन्न हो गया और इससे कर्मचारियों में अपार खुशी है, लेकिन उनके 39 महीनों के एरियर का भुगतान कई महीने पूर्व समझौता होने के बाद भी आज तक नहीं हो पाया है । अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के 39 महीनों के एरियर से बेटी की शादियों में, बच्चों की पढ़ाई में, मकान बनाने में कई प्रकार से उनकी मदद हो सकती है । इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार 39 महीनों के वेतन का जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए ।

सभापति महोदय, एक और बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है । कोरोना में सैकड़ों कर्मचारियों की मृत्यु हो गई । इस महामारी के आने से पहले कोई नियम या कानून नहीं था । मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाती है, लेकिन कोरोना से मृत्यु होने पर उनको नौकरी नहीं दी गई है, इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि नियम बनाकर कोरोना से जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए ।

15.00 hrs